

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
17/16/2019

प्रवेश तिथि
26-04-2019

निर्णय दिनांक
11-07-2019

1- हरदयाल सिंह पुत्र बसन्ता जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

-प्रार्थी

बनाम

- 1- शेरसिंह पुत्र माडूराम
- 2- लक्ष्मीदेवी पत्नी शेरसिंह
- 3- कृष्णा देवी पत्नी स्व० बाबूलाल
- 4- हेमन्त कुमार पुत्र स्व० बाबूलाल
- 5- पूनम पुत्री स्व० बाबूलाल
- 6- सीमा पुत्री स्व० बाबूलाल
- 7- मनीषा पुत्री स्व० बाबूलाल जातियान अहीरान् निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

-असल अप्रार्थीगण

- 8- शांति देवी पत्नी स्व० अमीलाल
- 9- उदयभान पुत्र स्व० अमीलाल
- 10- राजबाला पुत्री स्व० अमीलाल
- 11- नीलम पुत्री स्व० अमीलाल
- 12- सुमन पुत्री स्व० अमीलाल
- 13- विरेन्द्र पुत्र सम्पत
- 14- कमला पत्नी स्व० महेन्द्र सिंह
- 15- प्रकाशचन्द पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह
- 16- सीता पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह
- 17- मनीषा पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह
- 18- बबली पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह
- 19- मूर्ति देवी पत्नी स्व० मातादीन
- 20- शिक्षा देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र
- 21- प्रदीप पुत्र स्व० सुरेन्द्र
- 22- ज्योति पुत्री स्व० सुरेन्द्र
- 23- विरेन्द्र पुत्र स्व० मातादीन
- 24- सरजीत पुत्र स्व० मातादीन
- 25- रामरति पुत्री स्व० मातादीन
- 26- रामकला पुत्री स्व० मातादीन
- 27- सनेश पुत्री स्व० मातादीन
- 28- लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर
- 29- धर्मवीर पुत्र रूणीराम
- 30- सावत्री देवी पुत्री स्व० रूणीराम
- 31- कमला देवी पुत्री स्व० रूणीराम
- 32- कृष्णा देवी पुत्री स्व० रूणीराम
- 33- शांति देवी पुत्री स्व० रूणीराम
- 34- नीलम पुत्री स्व० रूणीराम
- 35- बालादेवी पत्नी स्व० महोदय पुत्र नाथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

- 36- रामानन्द पुत्र स्व० महादेव पुत्र नाथा
- 37- राजपाल पुत्र स्व० महादेव पुत्र नाथा
- 38- तेजपाल पुत्र स्व० महादेव पुत्र नाथा
- 39- सोमदत्त पुत्र स्व० प्रताप पुत्र गोपाल
- 40- धर्मपाल पुत्र स्व० प्रताप पुत्र गोपाल
- 41- बिमला देवी पुत्री स्व० प्रताप पुत्र गोपाल
- 42- अमरसिंह पुत्र स्व० गोपाल
- 43- सुबेसिंह पुत्र स्व० दुर्गा दत्तक पुत्र श्रीराम
- 44- राजेन्द्र पुत्र स्व० दुर्गा
- 45- अशोक पुत्र स्व० दुर्गा
- 46- बिजेन्द्र पुत्र स्व० दुर्गा
- 47- श्रीमति घीसी देवी पत्नी स्व० दुर्गा
- 48- मनोहर पुत्र स्व० हरचन्द जातियान अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

-तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री कृष्ण कुमार
02. श्री ब्रह्मप्रकाश

-वकील प्रार्थी
-वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शेरसिंह वगै० बनाम शांतिदेवी वगै० को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि शेरसिंह वगै० बनाम शांतिदेवी वगै० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। रास्ता कायम करने हेतु दावा मय प्रा०पत्र 212 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन ताफैसला दावा कन्फर्म किया हुआ है। एक अन्य मुकदमा शेरसिंह वगै० द्वारा प्रा०पत्र 251क आरटीएक्ट बउनवान शेरसिंह वगै० बनाम शांतिदेवी वगै० भी उक्त आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 में से रास्ता कायम करने हेतु विचाराधीन है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 में मिन प्रार्थी का हित निहित है तथा उक्त खसरा नम्बर में कभी भी कोई कदीमी रास्ता कायम नहीं रहा है। खसरा नम्बर 1350, 1351 शामिल होती खाता है। जो मौके पर अबट है। चूंकि असल अप्रार्थी का खेत आराजी खसरा नम्बर 1338, 1346 है। जो आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 से लगता हुआ है। असल अप्रार्थी उक्त खसरा नम्बर में से जबरन आने जाने के लिये रास्ता कायम करना चाहता है। जिसका कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगणों के झूठे कथनों पर विश्वास कर रही है। पटवारी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1350, 1351 में कदीमी रास्ता दर्ज नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने को आमदा है। मिन प्रार्थी द्वारा असल अप्रार्थीगण को कई बार अधीनस्थ न्यायालय के चैम्बर में आते जाते देखा है। असल अप्रार्थी द्वारा खुले में ऐलान किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 में से होकर रास्ता कायम करके रहेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त मुकदमे में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। विचाराधीन दावा में प्रार्थनापत्र धारा 212 आरटीएक्ट केवल अप्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए एकपक्षीय स्थगन जारी किया हुआ है। जो बाद ताफैसला दावा कर दिया गया। अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा को डिक्री कर दिया गया तो असल अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1350,

(3)

1351 में कथित रास्ता कायम करने का पुरा प्रयास करेंगे। जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन होगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बउनवान शेरसिंह वगै० बनाम शांतिदेवी वगै० मु०नं. 139/2017 को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरणों में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों अनुसार सुनवाई की जा रही है। हमारा पीठासीन अधिकारी से कोई मेल-जोल नहीं है ना ही हमने पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बात की है। प्रार्थी ने प्रा०पत्र हम अप्रार्थीगण को मानसिक नुकसान पहुंचाने की नियत से किया है। प्रा०पत्र 212 आरटीएक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था। उक्त प्रा०पत्र ताफैसला फैसल नहीं किया गया है। मुकदमें को मुत्तकिल करने के लिये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिया गया है। फिर भी यदि उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली एवं उभय-पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय-पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावलियों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। प्रा०पत्र 212 आरटीएक्ट अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था लेकिन प्रा०पत्र 212 को निर्णय नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं मनगडंत है। फिर भी यदि न्यायालय उक्त विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल करती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें को अन्य न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण उनवान शेरसिंह वगै० बनाम शांतिदेवी वगै० मु०नं. 139/2017 को न्यायालय बहरोड़ में मुत्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11-07-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में



सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)